

चिकित्सा व्यय अनुदान

योजना एवं धनराशि	नियमावली
<p>चिकित्सा व्यय अनुदान – हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवायें जो ई0सी0एच0एस0 योजना के पात्र नहीं हैं, को इलाज हेतु वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 10,000/- तक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति।</p> <p>(अधिकतम 25 लाभार्थी प्रतिवर्ष)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा आवेदक का ई0सी0एच0एस0 योजना के लाभार्थी नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।2. प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति।3. बीमारी/इलाज से सम्बन्धित अभिलेख मूल रूप में (उपचारी चिकित्सा द्वारा सत्यापित)।4. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण।5. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त पूर्व सैनिक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।6. वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0 1.20 लाख।7. प्रार्थना पत्र इलाज प्रारम्भ होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।8. इस प्रयोजन हेतु किसी सरकारी सहायता प्राप्त न होने सम्बन्धी ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।